

50 लीटर नाजायज कच्ची अपमिश्रीत शराब व 1 किलो यूरिया व 500 ग्राम नौसादर व 250 ग्राम फिटकीरी व शराब बनाने के उपकरण के साथ 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा अवैध शराब निष्कर्षण व अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अरुण कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के कुशल मार्ग निर्देशन एवं जगताराम कनौजिया पुलिस उपाधीक्षक बासगाव व राजप्रकाश सिंह थानाध्यक्ष गगहा के नेतृत्व में उ0नि0 प्रभात सिंह मय उप निरीक्षक अजय राज यादव मय हमराह हे0का0 हेरेंद्र यादव, कांस्टेबल मुकेश कुमार म0का0 श्वेता सिंह म0का0 नेहा पांडेय मय जीप सरकारी नं UP53 AG 0891 के बिनावर देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व अवैध रोकथाम शराब निष्कर्षण में मामूर होकर रावतपार चौराहे पर मौजूद था कि मुखबिर खास ने आकर बताया कि साहब पकड़ी के पास गब्बर यादव के इट भट्टे मार्का आयुष ईट पर एक महिला द्वारा टीन शेड में नाजायज देशी कच्ची शराब बनाया जा रहा है। मुखबिर खास की इस सूचना पर विश्वास करके हमराही अधिकारी/कर्मचारीगण को मकसद से अवगत कराते हुए मुखबिर खास को साथ में लेकर पकड़ी के पास स्थित आयुष ईट भट्टे से करीब 50 मीटर पहले पहुंचे कि मुखबिर खास ने बताया कि साहब यही ईट का भट्टा है। मुखबिर खास कुछ दूर पहुंच कर दिखाया कि वही टीन शेड है जहां से धुआँ निकल रहा है। उसी के अंदर भट्टी है जहां शराब का निर्माण करती हैं। बता कर मुखबिर हट बढ़ गया। तत्पश्चात, हम पुलिस वाले चारों तरफ से घेर कर, नजदीक पहुंचकर, छिपकर देखे तो एक महिला मौजूद हैं जो भट्टी पर पतीली रखी हुई है आग जला रही है यह पूर्ण विश्वास होने पर कि उक्त महिला अवैध कच्ची देशी शराब ही बना रही हैं हम पुलिस वाले एक बारगी दबिश देकर, महिला कांस्टेबल की मदद से घेर-घार कर मौके पर ही पकड़ लिया। महिला आरक्षी द्वारा पकड़ी गई महिला का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गई तो अपना नाम मंगरी पत्नी वासुदेव ग्राम बिहार बटोली थाना घाघरा जिला गुमला, रांची, झारखंड बताया। पकड़ी गयी महिला से पूछा गया तो गलती की माफी मांगते हुए बताया कि साहब हम भट्टे के मालिक गब्बर यादव पुत्र अज्ञात निवासी नेवासपार झुमला थाना बडहलगंज जनपद गोरखपुर के कहने पर व भट्टे के मुंशी राम नवल गुप्ता पिता का नाम अज्ञात निवासी मिसरौली पकड़ी थाना गगहा जनपद गोरखपुर की निगरानी में अवैध कच्ची शराब बनाती व बेचती हूँ। पकड़ी गयी महिला का यह कृत्य अंतर्गत धारा 60/60(2) आबकारी अधिनियम व धारा 272 भादवि का दंडनीय अपराध है। कारण गिरफ्तारी बताते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों व निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए समय करीब 6.15 बजे पकड़ी गयी महिला को हिरासत पुलिस लिया गया। जिन्हे जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता –

मंगरी पत्नी वासुदेव ग्राम बिहार बटोली थाना घाघरा जिला गुमला, रांची, झारखंड यथा मु0अ0स0 97/2021 धारा 60/60(2) Ex Act व 272 IPC

गिरफ्तारी का दिनांक स्थान व समय

दिनांक 23.03.2021 समय सुबह 6.15 गब्बर यादव का ईट भट्टा बहद ग्राम पकड़ी

नाम पता वान्छित अभियुक्तगण

- 1- गब्बर यादव पुत्र अज्ञात निवासी नेवासपार झुमला थाना बडहलगंज जनपद गोरखपुर सम्बन्धित मु0अ0सं0 97/2021 धारा 60/60(2) Ex Act व 272 IPC
- 2- भट्टे के मुंशी राम नवल गुप्ता पिता का नाम अज्ञात निवासी मिश्रौली पकड़ी थाना गगहा जनपद गोरखपुर 97/2021 धारा 60/60(2) Ex Act व 272 IPC

गिरफ्तार करने वाले अधि0/कर्म0गण –

- (1) उ0नि0 श्री प्रभात सिंह थाना गगहा जनपद गोरखपुर

- (2) उ0नि0 श्री अजय राज यादव थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- (3) हे0का0 हरेन्द्र यादव थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- (4) का0 मुकेश कुमार थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- (5) म0का0 नेहा पाण्डेय थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- (6) म0का0 स्वेता सिंह थाना गगहा जनपद गोरखपुर